



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 175 राँची, मंगलवार, 1 वैशाख, 1948 (श०)
21 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 मार्च, 2026

संख्या-3/आरोप(कोर्ट केस)-15-08/2025 का.-35282 (HRMS)--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4844, दिनांक 25.09.2017 के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक-1654/गो0, दिनांक 30.08.2017 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती नीतु कुमारी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-306/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध श्रीमती रूबीना परबीन के दाखिल खारिज आवेदन को समय-सीमा में निष्पादन नहीं करने एवं रिश्वत माँगने तथा अन्य से संबंधित कुल 5 आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों का मुख्य सारांश निम्नवत् है:-

आरोप सं0-1:- अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा दाखिल खारिज मामले में समय सीमा पर निष्पादन नहीं करने एवं रिश्वत की मांग में संलिप्त होकर आवेदक को परेशान करने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर उच्चाधिकारियों को दिगभ्रमित किया गया ।

आरोप सं0-2:- शिकायतकर्ता रुबीना परबीन, पति स्व0 अख्तर जमाल, वार्ड नं0-1, चक्रधरपुर द्वारा उपायुक्त महोदय को सम्बोधित शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि दिनांक 11.02.2015 को दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर में आवेदन दिया गया एवं जिसे 6 माह तक लंबित रखा गया ।

आरोप सं0-3:- ईद-उल-जोहा (बकरीद) में विधि-व्यवस्था संधारण में लापरवाही बरतने के संबंध में आरोप ।

आरोप सं0-4:- जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र के संबंध में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा कार्य में लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता बरती गयी है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा प्रमाण पत्रों के ससमय निष्पादन करने हेतु राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन नहीं किया गया है ।

आरोप सं0-5:- नामान्तरण वाद संबंधी अभिलेख में निष्पादन में अनियमितता के संबंध में।

2. उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-909(HRMS), दिनांक-03.07.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-189, दिनांक-10.09.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती नीतु कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया ।

4. श्रीमती नीतु कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में उनके विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड पर उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 1507(HRMS), दिनांक- 28.03.2019 द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-306/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

5. उपर्युक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्रीमती नीतु कुमारी के द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्रीमती नीतु कुमारी के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या- 3137(HRMS), दिनांक- 02.07.2019 द्वारा उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

6. विभागीय संकल्प संख्या- 1507(HRMS), दिनांक- 28.03.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं विभागीय संकल्प संख्या- 3137(HRMS), दिनांक- 02.07.2019 द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड

उच्च न्यायालय में WP(S) No- 3883/2019 नीतु कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

7. WP(S) No- 3883/2019 नीतु कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-31.07.2024 को पारित न्यायादेश द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1507(HRMS), दिनांक-28.03.2019 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं विभागीय संकल्प संख्या-3137(HRMS), दिनांक-02.07.2019 द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“-----5. In the present case, the Revenue Karamchari Arjun Majhi had sought illegal gratification of Rs.10,000/- from the complainant for giving favourable report in the mutation case of the complainant Rubina Parween and he had also taken Rs.2,000/- from her.

6. As far as the petitioner Nitu Kumari is concerned, there is no such allegation against her. Arjun Majhi had played an active role in demanding illegal gratification. She has only been held guilty for not disposing of the mutation case of the complainant Rubina Parween expeditiously. The accusation against the petitioner is comparatively lesser than the accusation against Arjun Majhi.

7. In the light of the decision of the Hon'ble Supreme Court in Rajendra Yadav's case (Supra), the petitioner cannot be inflicted with a harsher punishment. Accordingly, awarding the punishment of withholding two increments from her salary with cumulative effect is disproportionate to the lesser punishment awarded to Arjun Majhi.

8. Mr. Anup Kumar Agrawal, learned counsel appearing for the respondents has submitted that the matter may be remanded back to the respondents for reconsideration with respect to the imposition of punishment to the petitioner.

9. Mr. Arpan Mishra, learned counsel appearing for the petitioner has submitted that the punishment was awarded to the petitioner in the year 2019 and after lapse of about five years, the matter cannot be remanded back for reconsideration.

10. Reliance has been placed upon the decision of the Hon'ble Supreme Court, reported in (2017) 2 SCC 308 in the case of Allahabad Bank and Others Vs. Krishna Narayan Tewari, wherein, it has been held as follows:-

8. There is no quarrel with the proposition that in cases where the High Court finds the enquiry to be deficient, either procedurally or otherwise, the proper course always is to remand the matter back to the authority concerned to redo the same afresh. That course could have been followed even in the present case. The matter could be remanded back to the disciplinary authority or to the enquiry officer for a proper enquiry

and a fresh report and order. But that course may not have been the only course open in a given situation. There may be situations where because of a long time lag or such other supervening circumstances the writ court considers it unfair, harsh or otherwise unnecessary to direct a fresh enquiry or fresh order by the competent authority. That is precisely what the High Court has done in the case at hand.

9. The High Court has taken note of the fact that the respondent had been placed under suspension in the year 2004 and dismissed in the year 2005. The dismissal order was challenged in the High Court in the year 2006 but the writ petition remained pending in the High Court for nearly seven years till 2013. During the intervening period the respondent superannuated on 30.11.2011. Not only that he had suffered a heart attack and a stroke that has rendered him physically disabled and confined to bed. The respondent may by now have turned 65 years of age. Any remand either to the enquiry officer for a fresh enquiry or to the disciplinary authority for a fresh order or even to the appellate authority would thus be very harsh and would practically deny to the respondent any relief whatsoever. Superadded to all this is the fact that the High Court has found that there was no allegation nor any evidence to show the extent of loss, if any, suffered by the Bank on account of the alleged misconduct of the respondent. The discretion vested in the High Court in not remanding the matter back was, therefore, properly exercised.

11. In view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in Allahabad Bank's case (Supra), remanding back the case directing the disciplinary authority for passing fresh order after the period of five years would be very harsh and as such, the submission made by the learned counsel for the respondents for remanding back the case for fresh consideration of the award/punishment to the petitioner is untenable.

12. Accordingly, this writ application is allowed. The order passed in Annexure 19 i.e. the resolution contained in Memo No. 5/Aarop-1-184/2017 Ka. 1507 (HRMS)/Ranchi dated 28.03.2019 and order contained in Memo No.5/Aarop-1-184/2017-3137 (HRMS)/Ranchi dated 02.07.2019 (Annexure-20) are hereby quashed.

13. Pending I.A., if any, also stands disposed of."

8. WP(S) No- 3883/2019 नीतु कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No-251/2025(Arising out of WP(S) No- 3883/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नीतु कुमारी दायर किया गया।

9. LPA No-251/2025(Arising out of WP(S) No- 3883/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नीतु कुमारी में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 17.02.2026 को

पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त LPA को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"-----13. From perusal of the impugned order, it is evident that the Writ Court has also dealt that issue relying upon the aforesaid judgment and rightly came to the conclusion that the co-delinquent-Revenue Karamchari Arjun Majhi had sought illegal gratification of Rs.10,000/- from the complainant for giving favourable report in the mutation case of the complainant and also received Rs.2,000/- from her. However, as stated hereinabove, the allegation against the respondent-writ petitioner was only for not disposing the mutation case expeditiously. There was no allegation that the gratification demanded by Majhi was meant for the respondent-petitioner.

14. Therefore, as we held hereinabove, the allegation of the respondent-writ petitioner was much lesser than that of her coemployee of taking bribe of Rs. 2,000/-. Accordingly, awarding higher punishment to the respondent-writ petitioner, allegation against whom was less serious, and giving lesser punishment to the main accused, who took illegal gratification, is certainly not sustainable.

15. Accordingly, we do not find any error in the impugned order passed by the learned Writ Court; as such, the appeal filed by the State is hereby dismissed.

16. However, there shall not be any order to cost.

17. Pending I.A(s)., if any, stand closed.

10. अतः WP(S) No- 3883/2019 नीतु कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-31.07.2024 को पारित न्यायादेश तथा LPA No- 251/2025(Arising out of WP(S) No- 3883/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नीतु कुमारी में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-17.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है-

(i) विभागीय संकल्प संख्या- 1507(HRMS), दिनांक- 28.03.2019, जिसके द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-306/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या-3137(HRMS), दिनांक-02.07.2019, जिसके द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती नीतु कुमारी, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-306/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITU KUMARI 110033265458	WP(S) No- 3883/2019 नीतु कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को पारित न्यायादेश तथा LPA No-251/2025(Arising out of WP(S) No- 3883/2019) झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नीतु कुमारी में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 17.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है- (i) विभागीय संकल्प संख्या- 1507(HRMS), दिनांक- 28.03.2019, जिसके द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-306/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहमभू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है, को विलोपित किया जाता है। (ii) विभागीय संकल्प संख्या-3137(HRMS), दिनांक-02.07.2019, जिसके द्वारा श्रीमती नीतु कुमारी के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है, को विलोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
